कार्यालय–निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

आदेश

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा/माध्य/साप्र /बी–1/कनि.सहा/2018/2019 दिनांक 27.06.2020 द्वारा श्री देव कुमार मोहिल मैरिट नम्बर 16147 को झालावाड जिला आवंटित किया गया था। उक्त आदेश के विरूद्व श्री देव कुमार मोहिल द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर में सिविल याचिका संख्या 13184/2020 देव कुमार मोहिल बनाम राजस्थान सरकार व अन्य दायर की गई।

याचिका में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 10.11.2020 में याचिकार्थी को प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी के समक्ष अपना अभ्यावेदन पेश करने और प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा उक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने की स्थिति में विधि अनुसार प्रकरण निस्तारित किये जाने सम्बन्धी आदेश प्रदान किये गए।

माननीय न्यायालय निर्णय के अनुसरण मे याचिकार्थी श्री देव कुमार मोहिल द्वारा अभ्यावेदन दिनांक 12.11.2020 को प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वे अपने धर से 500 कि.मी दूर है एवं माता–पिता वृद्व है उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। याची ने गृह जिला जयपुर आवंटन करने की मांग की है।

माननीय न्यायालय निर्णय एवं राज्य सरकार एवं विभाग द्वारा जारी दिशा–निर्देशो/नियमों/परिपत्रों के परिप्रेक्ष्य में प्रकरण का परीक्षण किया गया एवं उनसे सम्बन्धित अभिलेखों का अवलोकन किया गया। श्री देव कुमार मोहिल द्वारा दिये गए विकल्प के आधार पर व उनकी मैरिट के अनुसार झालावाड जिला आवंटित किया गया था।

याचिकार्थी द्वारा अपनी विकट पारिवारिक व सामाजिक परिस्थितियों के आधार पर जिस अनुतोष की मांग की गई है, उसके सम्बन्ध मे उल्लेखनीय है कि इन्हें राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा–निर्देश 29.05.2020 के अनुसार ही जिला आवंटित किया गया है। कार्मिक द्वारा कार्यग्रहण किया जा चुका है, इच्छित स्थान पर पदस्थापन की मांग अधिकारपूर्वक नहीं की जा सकती। इच्छित स्थान की जगह अन्यत्र पदस्थापित किये जाने से किसी भी लोकसेवक के विधिक अधिकारों का हनन एवं सेवानियमों का किसी प्रकार से उल्लंघन नहीं होता।

प्रशासनिक सुधार (अनुभाग–3) विभाग द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक प. 1(1)प्र.सु./अनु–3/2020पार्ट, जयपुर, दिनांक 18.05.2020 की पालना एवं विभागीय निर्देश–क्रमांक प. 17(3) शिक्षा–2/2013 जयपुर, दिनांक 29.05.2020 के अनुसार ही काउन्सलिंग प्रक्रिया में श्री देव कुमार मोहिल से उच्च मैरिट वाले अभ्यर्थियों को वरीयता तथा प्राथमिकता आधार पर जिलों का आवंटन हो जाने से श्री देव कुमार मोहिल द्वारा वांछित जिलों के प्राथमिकता क्रमानुसार शेष उपलब्ध रिक्तियो में से उन्हें झालावाड जिले का आवंटित हुआ था जो कि पूर्णतः सही व नियामनुसार है। अतः कार्मिक को पूर्व में ही काउन्सलिंग द्वारा जिला चयन का अवसर प्रदान किये जाने के कारण एतदनुसार द्वारा दिनांक 12.11.2020 को प्रस्तुत अभ्यावेदन अस्वीकार कर निस्तारित किया जाता है। सम्बन्धित सूचित हो।

(सौरभ स्वामी)
आई.ए.एस.
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान,
बीकानेर

क्रमांक शिविरा/माध्य/साप्र/बी–1/ देवकुमार /13184/2020 /11 दिनांक – 12/1/21

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर बैंच।
2. श्रीमान संयुक्त शासन सचिव महोदय प्रशासनिक सुधार (अनुभाग 3) विभाग, राज. जयपुर।
3. सिस्टम ऐनालिसिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
4. अनुभाग अधिकारी, विधि अनुभाग कार्यालय हाजा के पत्र क्रमांक शिविरा/मा./विधि/बी–2/जय/निर्णय /29871/सी/20 दिनांक 15.12.2020 के क्रम में।
5. संबधित जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), माध्यमिक शिक्षा झालावाड।
3. संबंधित श्री देव कुमार मोहिल, कनि.सहा. राउमावि. सेमलीखाम ब्लॉक सुनेल, झालावाड।
4. रक्षित पत्रावली।

निदेशक
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान,
बीकानेर